



श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

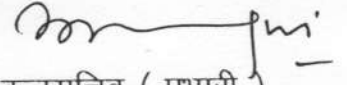
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016

क्रमांक: एफ-21(2)ला.ब.शा.रा.सं.वि./हिंदी राजभाषा/2020-21/771 दिनांक 26.11.2021
06.12

कार्यालय-आदेश

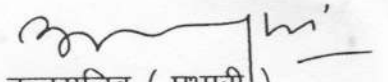
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) की उप समिति-03 के द्वारा विश्वविद्यालय की छमाही रिपोर्ट की समीक्षा की गई, जिसके अंतर्गत यह पाया गया कि श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का पालन पूर्ण रूप से नहीं किया जा रहा है तथा अभी भी विश्वविद्यालय के कार्य पूर्ण रूप से हिन्दी भाषा/द्विभाषी रूप में नहीं किये जा रहे हैं।

अतः विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि राजभाषा नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने-अपने विभाग द्वारा निर्गत की जाने वाले समस्त कार्य आदेश/सूचना/ अधिसूचना/पत्र/परिपत्र/ टिप्पणियाँ इत्यादि हिन्दी भाषा में अथवा द्विभाषी रूप में जारी करें।


कुलसचिव (प्रभारी)

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1 समस्त विभाग (शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक)।
- 2 संगणक विभाग को इस आशय से प्रेषित है कि वे इस कार्यालय आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था करें तथा समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी-वर्ग को एस.एम.एस के माध्यम से सूचित करें।
- 3 कुलपति के निजी सचिव।
- 3 कुलसचिव/विताधिकारी के निजी सचिव।
- 4 संबंधित पंजिका।


कुलसचिव (प्रभारी)